

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्डाधिकारी (पीएस) मुकाम ~~खुखुखुखु~~ विजयनगर

कुलविहु विट्ट भारी बनाम मुखिया (विट्ट भारी)

मुकदमा 88/531/188/व.2/1-2009 नम्बर 107 3-4-2012 सन्

हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर. व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी किए
12	<p>वारी कुलविहु विट्ट भारी आदि की मुखिया विट्ट भारी द्वारा अधिका ने वाद-का उत्तर किया की उक्त शर्तित किया जाकर सम्बन्धित पत्रके को लिये सम्मान बलक को पत्रावली दिनांक 17-5-2012 को पेश है। उवांग 500 निपपत्रके पक्ष पेश है।</p> <p><i>Omj</i> उप जिला जज रायसिंहनगर</p> <p>12/5/12 पत्रावली पेश करील वारी उपस्थित, प्रिबारी गंग सा. 5 व 6 द्वारा जारी करील इकबाली जवाब शब्द गय शपथ पत्र पेश किया जा. जाहेल पत्रावली की 10 सा. जिना पशिड धडान्य जुगाव के सन्त है। पत्रावली प्रगेतका दिनेक 06/01/12 को पेश है।</p> <p>12 पत्रावली केरा उई याही करील उपर- 10 सा. हुम्नालय से बाहर पदारे है। पत्रावली केरा दिनांक 26/01/12 को पेश है।</p> <p>पत्रावली पेश। 10 सा. पुनवाव कोतडी शिविर के सन्त को पत्रावली करील दिनांक 06/07/2012 को पेश है।</p>	<p>559-20 11/5/12</p>

28.4.17

आज यह फ़ावली वाडी एवं प्रतिवादी
 गण द्वारा जस्टिस वकील प्राणिक फडा
 राजीनाम देना करने पर फ़ावली एवं प्रतिवादी
 वाडी एवं प्रतिवादी गण की शर्त है कि
 जयका फन के साथ दसवागन के जयका
 इन्फ़रानागन द्वारा प्रति एवं वाडी गण
 की का मुलु प्रमाण फन की द्वारा प्रति एवं
 का जारी आपसी राजीनाम के आधार
 पर वाडी के अधिकार सुरक्षित रखे
 हुए वाड फन एवं ह्यार 570 फन इकी
 रखे पर विद्वा करने की कठुमति वाडी
 करे है)

फ़ावली का अवलोकन विद्वा
 एवं वकील वाडी तथा प्रतिवादी गण की
 उपस्थित कथानुसार वाड फन की राजीनाम
 के आधार पर वाडी के अधिकार सुरक्षित
 रखे हुए वाड फन इकी रखे पर विद्वा
 करने की कठुमति डी जाती है फ़ावली
 के फन मुलु शेव डालिस इफल है।

आदेश सुनाया गया

उप जिला कलैक्टर
श्री विजयनगर

श्री विजयनगर
 Subbarayan
 28/4/17
 श्री 2 व 4/2/17
 श्री पातराजि
 श्री 2 व 4/2/17